

क्रमांक.प.1(क)(44)का/आर.एम.एस./डी.एल.बी./15/ 10990

दिनांक : 6-10-17


आदेश

विभागीय समसंख्य आदेश क्रमांक 10906-930 दिनांक 05.10.17 में आंशिक संशोधन करते हुये प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को दोपहर 12.00 बजे नगर निगम, भरतपुर सभागार में भरतपुर जिले की निकायों के स्थान पर नगर निगम, भरतपुर एवं नगर परिषद, धौलपुर में विभाग के अन्तर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों की समीक्षा की जायेगी।

बैठक में भरतपुर एवं धौलपुर निकायों के आयुक्त समस्त सूचनाओं के साथ उपस्थित रहेंगे। बैठक के विन्दु पूर्ववत् रहेंगे।

जिला कलेक्टर, भरतपुर, परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, कार्यकारी निदेशक, रुडसिको, मुख्य अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, परियोजना निदेशक (एन.यू.एल.एम.), अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत), निदेशालय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

इस बैठक का समन्वय उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर द्वारा किया जावेगा।


(पवन अरोडा)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक 6-10-17

क्रमांक.प.1(क)(44)का/आर.एम.एस./डी.एल.बी./15/ 10991 - 11006

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
04. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर।
05. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
06. कार्यकारी निदेशक, रुडसिको, जयपुर।
07. मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत), सहायक अभियन्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, परियोजना निदेशक (एन.यू.एल.एम.) निदेशालय।
08. आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर एवं नगर परिषद, धौलपुर।
09. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं उक्त बैठक के सम्बन्ध में आवश्यक तैयारियां एवं समन्वय किया जाना सुनिश्चित करें।
10. अपर महाप्रबन्धक, ई.ई.एस.एल. जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।


(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव